मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल
फोन 0755–2550095, 2551486–87 फैक्स 2550094

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

भोपाल, दिनांक 03/04/2010

: : आदेश : :

क्रमांक/ 3314 /एनआरईजीएस–म.प्र./ स्था / एनआर–2/एफ–522/2010 वर्ष 2013 तक बारहमासी सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्मित की जाने वाली सड़कों की लंबाई को ध्यान में रखते हुये जिला राजगढ़, सतना, सिवनी, उमरिया, पन्ना, दमोह, बालाघाट, सागर, विदिशा, जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा एवं नरसिंहपुर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाती है । प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी उनके समक्ष दर्शाये पे–बैण्ड में पदस्थ होंगे :–

1. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में स्वीकृत अमला

क्र	पदनाम	पदों की संख्या	पे बैण्ड + ग्रेड पे
1.	प्रोजेक्ट मैनेजर	1	रू. 15600–39100+ ग्रेड पे 6600
2.	सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर	3	15600–39100+ ग्रेड पे 5400
3.	उपयंत्री*	प्रति जनपद आवश्यकतानुसार 01 या 02	9300–34800+ ग्रेड पे 3200 (प्रतिनियुक्ति पर) संविदा पर नियुक्त उपयंत्री– संविदा शर्त अनुसार
4.	सहायक मानचित्रकार	1	संविदा शर्त अनुसार
5.	लेखापाल	1	संविदा शर्त अनुसार
6.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक	2	संविदा शर्त अनुसार

प्रोजेक्ट मैनेजर एवं सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा अन्य कार्य विभागों में कार्यरत सड़क कार्य के अनुभवी सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को एक पद उच्चतर वेतनमान पर लिये जा सकेंगे।

उपयंत्री के पदों की पूर्ति ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/एमजीएनआरईजीएस–एमपी में पूर्व से पदस्थ उपयंत्रियों से की जावेगी। शेष पदों पर होने वाला व्यय एमजीएनआरईजीएस–एमपी के प्रशासनिक मद से किया जावेगा।

*   पी.एम.यू. में आने वाले जनपद पंचायत में कुल सड़क लंबाई की एक तिहाई सड़क की लंबाई के अनुसार प्रतिवर्ष 15–20 किमी कार्यभार के आधार पर उपयंत्री की संख्या निर्धारित होगी।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
एवं
सदस्य सचिव
सशक्त समिति
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्र. 3315 /एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/10 भोपाल, दिनांक 03/04/2010

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
3. कमिश्नर समस्त।
4. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल समस्त।
5. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त।
6. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त ।
8. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, आधारताल जबलपुर, की ओर सूचनार्थ।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
एवं
सदस्य सचिव
सशक्त समिति
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल